न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 43 / 2023 / अपील / एलआरएक्ट / बून्दी
दायरा दिनांक 04.12.2023
अन्तर्गत धारा: अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट 1956

उनवान

मनोज कुमार पुत्र स्व. श्री हरि सिंह जाति चारण निवासी ग्राम ठीकरिया चारणान पोस्ट लीलेडा व्यासान तहसील तालेडा जिला बून्दी

.....अपीलान्ट

बनाम

1. पटवार घर (कार्यालय भवन) ग्राम ठीकरिया चारणान जरिये तहसीलदार, तहसील तालेडा जिला बून्दी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील तालेडा, जिला बून्दी राजस्थान

.....रेस्पो0

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक –अपीलांट
रेस्पो0 पेरोकार सरकार – रेस्पो क्र. 1 एवं 2

::निर्णय::

दिनांक 24.03.2025

अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा, जिला बून्दी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा आदेश संख्या 31 दिनांक 10.07.2023 के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी के साथ अपील पेश करने की इजाजत दिये जाने के साथ प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार तालेड़ा द्वारा पत्रांक भू0अ0 / 23 / 2286 दिनांक 08.05.2023 से ग्राम ठीकरिया चारणान पटवार घर (कार्यालय भवन) हेतु ग्राम ठीकरिया चारणान, पटवार हल्का ठीकरिया चारणान की आराजी खसरा सं0 293 रकबा 0.1214 है0 किस्म गै0मु0 भूमि आवंटन के प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा को प्रेषित किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा द्वारा आदेश संख्या 31 दिनांक 10.07.2023 से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर भू–राजस्व (स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, धर्मशाला तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए एवं अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के नियमों के अन्तर्गत ग्राम ठीकरिया चारणान में पटवार घर (कार्यालय भवन) हेतु ग्राम ठीकरिया चारणान की आराजी खसरा सं0 293 रकबा 0.1214 है0 किस्म गै0मु0 भूमि (पृष्ठांकित नक्शा अनुसार) राजस्व विभाग (तहसीलदार तालेड़ा) को अनुबंध / शर्त के अधीन निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति प्रदत्त की गई।

2. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 10.07.2023 से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी के साथ अपील पेश करने की इजाजत दिये जाने के साथ भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सूचना एवं सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट की अनुपस्थिती में हुक्म जेरअपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि ग्राम ठीकरिया चारणान तहसील बून्दी हाल तहसील तालेडा की साबिक खसरा नम्बर 43/1 मिन की 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपीलान्ट के पिता श्री हरि सिंह जी की जागीर की भूमि थी जिसे जिलाधीश जागीर बून्दी द्वारा दिनांक 30.01.1975 को जागीर हरि सिंह की खुद काश्त भूमि होने से निजी सम्पति घोषित की गयी थी। माफी रिज्यूम होने पर एवं उपरोक्त भूमि जागीरदार श्री हरि सिंह की खुदकाश्त में होने से श्री हरि सिंह कानूनन उपरोक्त भूमि के खातेदार टीनेन्ट हो गये थे। जागीरदार श्री हरिसिंह की मृत्यु हो गयी है। अपीलांट श्री हरिसिंह जी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी होने से कानूनन उपरोक्तानुसार भूमि का खातेदार टीनेन्ट हो गया है। दौराने सेटलमेंट के भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 293 रकबा 0.1214 हेक्टर कायम किया गया है। अपीलान्ट ने जिला कलेक्टर बून्दी के समक्ष भी दिनांक 08.05.2023 को उपरोक्त भूमि पटवार भवन आवंटन नहीं किये जाने बाबत प्रार्थना–पत्र आदेश जेर अपील पारित होने के काफी समय पूर्व ही प्रस्तुत कर दिया था जिसे जिला कलेक्टर बून्दी द्वारा उपखण्ड अधिकारी तालेडा को प्रेषित किया गया था। इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी तालेडा ने सर्वथा गलत रूप से हुक्म जेरअपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी तालेडा के न्यायालय में राजस्थान सरकार के विरूद्ध अपील विषयक आराजियात एवं दीगर आराजियात के बाबत हक घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा दिनांक 28.06.2023 को प्रस्तुत किया था, उक्त वाद वर्तमान में भी विचाराधीन है। इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी तालेडा ने उपरोक्त भूमि रेस्पो० नं0 1 को आवंटन करने में त्रुटि की है। अपीलान्ट उपरोक्त भूमि पर वैधानिक रूप से काबिज है। अपीलान्ट का उपरोक्त भूमि में हित निहित है तथा हुक्म जेरअपील से अपीलान्ट के हितों पर विपरीत प्रभाव पडा है। अपीलान्ट हुक्म जेरअपील से (अग्रीव्ड परसन) व्यथित पक्षकार होने से अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत फरमायी जाकर अपील स्वीकार फरमाते हुए रेस्पो0 नं 1 के पक्ष में ग्राम ठीकरिया चारणान नायब तहसील तालेडा, जिला बून्दी की खसरा सं0 293 की 0.1214 है0 भूमि का किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 क्र.1 एवं 2 पेरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि ग्राम ठीकरिया चारणान तहसील बून्दी हाल तहसील तालेडा की साबिक खसरा नम्बर 43/1 मिन की 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपीलान्ट के पिता श्री हरि सिंह जी की जागीर की भूमि थी जिसे जिलाधीश जागीर बून्दी द्वारा दिनांक 30.01.1975 को जागीर हरि सिंह की खुद काश्त भूमि होने से निजी सम्पति घोषित की गयी थी। माफी रिज्यूम होने पर एवं उपरोक्त भूमि जागीरदार श्री हरि सिंह की खुदकाश्त में होने से श्री हरि सिंह कानूनन उपरोक्त भूमि के खातेदार टीनेन्ट हो गये थे। अपीलांट श्री हरिसिंह जी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी होने से कानूनन

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

उपरोक्तानुसार भूमि का खातेदार टीनेन्ट हो गया है। दौराने सेटलमेंट के भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 293 रकबा 0.1214 हेक्टर कायम किया गया है। अपीलान्ट ने जिला कलेक्टर बून्दी के समक्ष भी दिनांक 08.05.2023 को उपरोक्त भूमि पटवार भवन आवंटन नहीं किये जाने बाबत प्रार्थना–पत्र आदेश जेर अपील पारित होने के काफी समय पूर्व ही प्रस्तुत कर दिया था, जिसे जिला कलेक्टर बून्दी द्वारा उपखण्ड अधिकारी तालेडा को प्रेषित किया गया था। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी तालेडा के न्यायालय में राजस्थान सरकार के विरूद्ध प्रश्नगत आराजी के संबधं में हक घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा दिनांक 28.06.2023 को प्रस्तुत किया था, उक्त वाद वर्तमान में भी विचाराधीन है। इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी तालेडा ने उपरोक्त भूमि रेस्पो० नं0 1 को आवंटन करने में त्रुटि की है। अपीलान्ट उपरोक्त भूमि पर वैधानिक रूप से काबिज है। अपीलान्ट का उपरोक्त भूमि में हित निहित है एवं हुक्म जेरअपील से अपीलान्ट के हितों पर विपरीत प्रभाव पडा है। अतः अपील प्रस्तुत करने की इजाजत फरमायी जाकर अपील स्वीकार फरमाते हुए रेस्पो0 नं 1 के पक्ष में किया गया ग्राम ठीकरिया चारणान नायब तहसील तालेडा, जिला बून्दी की खसरा सं0 293 की 0.1214 है0 भूमि का किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जाने का अनुरोध किया गया।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार तालेड़ा के पत्रांक भू0अ0 / 23 / 2286 दिनांक 08.05.2023 से ग्राम ठीकरिया चाराणान पटवार घर (कार्यालय भवन) हेतु ग्राम ठीकरिया चारणान पटवार हल्का ठीकरिया चारणान की आराजी खसरा सं0 293 रकबा 0.1214 है0 किस्म गै0मु0 भूमि आवंटन के प्रस्ताव के साथ संलग्न रिपोर्ट, चैकलिस्ट, जमाबंदी, गिरदावरी एवं मौका रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश संख्या 31 दिनांक 10.07.2023 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्योयोचित होने से अपील अस्वीकार की जाकर खारिज फरमायी जावे।

6. प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने से पूर्व प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी का निर्णय किया जाना आवश्यक प्रकट होता है। प्रश्नगत आराजी के संबंध में अपीलांट का कथन है कि ग्राम ठीकरिया चारणान तहसील बून्दी हाल तहसील तालेडा की साबिक खसरा नम्बर 43 / 1 मिन की 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपीलान्ट के पिता श्री हरि सिंह जी की जागीर की भूमि थी, जिसे जिलाधीश जागीर बून्दी द्वारा दिनांक 30.01.1975 को जागीर हरि सिंह की खुद काश्त भूमि होने से निजी सम्पति घोषित की गयी थी। माफी रिज्यूम होने पर एवं उपरोक्त भूमि जागीरदार श्री हरि सिंह की खुदकाश्त में होने से श्री हरि सिंह कानूनन उपरोक्त भूमि के खातेदार टीनेन्ट हो गये थे। जागीरदार श्री हरिसिंह की मृत्यु होने पर अपीलांट उत्तराधिकारी होने से कानूनन उपरोक्तानुसार भूमि का खातेदार टीनेन्ट हो गया है। भू–प्रबन्ध विभाग सेटलमेंट के दौरान उपरोक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 293 रकबा 0.1214 हेक्टर कायम किया गया है। अपीलान्ट ने जिला कलेक्टर बून्दी के समक्ष भी दिनांक 08.05.2023 को उपरोक्त भूमि पटवार भवन आवंटन नहीं किये जाने बाबत प्रार्थना–पत्र आदेश जेर अपील पारित होने के काफी समय पूर्व ही प्रस्तुत कर दिया था जिसे जिला कलेक्टर बून्दी द्वारा उपखण्ड अधिकारी तालेडा को प्रेषित किया गया था। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी तालेडा के न्यायालय में राजस्थान सरकार के विरूद्ध प्रश्नगत आराजी के संबधं में हक घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा दिनांक 28.06.2023 को प्रस्तुत किया था, उक्त वाद

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

वर्तमान में भी विचाराधीन है। इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी तालेडा ने उपरोक्त भूमि रेस्पो० नं0 1 को आवंटन करने में त्रुटि की है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अपील एवं अधीनस्थ न्यायायल की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 10.07.2023 को पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर, बून्दी के समक्ष प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.05.2023 को प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि आराजी खसरा सं0 293 पुराना नम्बर 43/1/मिन रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम ठीकरियाणान तहसील तालेड़ा जिला बून्दी विस्थित भूमि प्रार्थी के आधीपत्य व स्वामित्व की होने के कारण पटवार हल्का को आवंटन नहीं किया जावे। इसके उपरांत जिला कलक्टर बून्दी द्वारा प्रार्थना–पत्र उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा को अग्रेषित किये जाने के उपरांत तहसीलदार (भू.अभि.) तहसील तालेड़ा, द्वारा पत्रांक 5446 दिनांक 18.07.2023 से उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा के प्रासंगिक पत्र राजस्व/2023/1535 दिनांक 23.06.2023 की पालना में प्रश्नगत आराजी के संबंध में पटवारी हल्का ठीकरिया चारणाान एवं भू–अभिलेख निरीक्षक वृत तालेड़ा से रिकोर्ड एवं मौका स्थिति की रिपोर्ट ली जाकर पेश की गई। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 04.07.2023 का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि "वर्तमान ग्राम ठीकरिया चारणान के खाता सं0 1 पर दर्ज खसरा सं0 293 रकबा 0.1214 है0 किस्म गै0मु0 पर वर्तमान में प्रार्थी मनोज सिंह पुत्र हरिसिंह जाति चारण का कब्जा काश्त है, उससे पूर्व इनके पूर्वजों का कब्जा था व पूर्व में उक्त आराजी पर निर्णय दिनांक 30.08.1997 से नायब तहसीलदार तालेडा द्वारा अतिक्रमण की कार्यवाही ड्रोप की गई थी"। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का हित निहित होना एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2023 से प्रभावित होने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.2023 को आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलांट के प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.05.2023 पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाना प्रकट होने से प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित प्रकट होता है।

7. प्रकरण का गुणावगुण पर अवलोकन करने से प्रकट होता है कि तहसीलदार तालेड़ा द्वारा पत्रांक भू0अ0/23/2286 दिनांक 08.05.2023 से ग्राम ठीकरिया चाराणान पटवार घर (कार्यालय भवन) हेतु ग्राम ठीकरिया चारणान पटवार हल्का ठीकरिया चारणान की आराजी खसरा सं0 293 रकबा 0.1214 है0 किस्म गै0मु0 भूमि आवंटन के प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा को प्रेषित किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा द्वारा आदेश संख्या 31 दिनांक 10.07.2023 से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर भू–राजस्व (स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, धर्मशाला तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए एवं अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के नियमों के अन्तर्गत ग्राम ठीकरिया चारणान में पटवार घर (कार्यालय भवन) हेतु ग्राम ठीकरिया चारणान की आराजी खसरा सं0 293 रकबा 0.1214 है0 किस्म गै0मु0 भूमि (पृष्ठांकित नक्शा अनुसार) राजस्व विभाग (तहसीलदार तालेड़ा को अनुबंध/शर्त के अधीन निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति प्रदत्त की गई। अपीलांट का प्रकरण में मुख्य तर्क है कि ग्राम ठीकरिया चारणान तहसील बून्दी हाल तहसील तालेडा की साबिक खसरा नम्बर 43/1 मिन की 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपीलान्ट के पिता श्री हरि सिंह जी की जागीर की भूमि थी जिसे जिलाधीश जागीर बून्दी द्वारा दिनांक 30.01.1975 को जागीर हरि सिंह की खुद काश्त भूमि होने से निजी सम्पति घोषित की गयी थी। माफी रिज्यूम होने पर एवं

राजस्व अपील अधिकारी ... कोटा

उपरोक्त भूमि जागीरदार श्री हरि सिंह की खुदकाश्त में होने से श्री हरि सिंह कानूनन उपरोक्त भूमि के खातेदार टीनेन्ट हो गये थे। अपीलांट श्री हरिसिंह जी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी होने से कानूनन उपरोक्तानुसार भूमि का खातेदार टीनेन्ट हो गया है। भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा सेटलमेंट के दौरान उपरोक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 293 रकबा 0.1214 हेक्टर कायम किया गया है एवं पूर्व में न्यायालय नायब तहसीलदार, तालेड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.08.1997 से भी जिलाधीश जागीर बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 10/65 में पारित निर्णय दिनांक 30.01.1975 के आधार पर ही अतिक्रमण कि कार्यवाही ड्रॉप की गई है।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि पटवारी रिपोर्ट दिनांक 05.05.2023 अनुसार उक्त आराजी गै0मु0 सिवायचक एवं भूमि समतल होना वर्णित किया गया है एवं पटवारी रिपोर्ट दिनांक 04.07.2023 अनुसार "वर्तमान ग्राम ठीकरिया चारणान के खाता सं0 1 पर दर्ज खसरा सं0 293 रकबा 0.1214 है0 किस्म गै0मु0 पर वर्तमान में प्रार्थी मनोज सिंह पुत्र हरिसिंह जाति चारण का कब्जा काश्त है, उससे पूर्व इनके पूर्वजों का कब्जा था व पूर्व में उक्त आराजी पर निर्णय नायब तहसीलदार तालेडा द्वारा अतिक्रमण की कार्यवाही ड्रोप की गई थी" वर्णित किया गया हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 10.07.2023 पारित करने से पूर्व पटवार घर हेतु आवंटित भूमि खसरा सं0 293 रकबा 0.1214 की स्पष्ट रूप से जांच नहीं करवायी गयी है और न हीं अपीलांट के प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.05.2023 के संबंध में अपीलांट को सुना गया है, जबकि प्रश्नगत आराजी जिलाधीश जागीर बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 10/65 में पारित निर्णय दिनांक 30.01.1975 अनुसार अपीलांट का काबिज होना माना है तथा इसी आधार पर नायब तहसीलदार तालेडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.08.1997 में अतिक्रमण की कार्यवाही ड्रोप की गई थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त विवेचित तथ्यों पर गौर नहीं करते हुए तथा अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.05.2023 के संबंध में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2023 पारित किया गया है, जो न्यायोचित प्रकट नहीं होता है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा द्वारा भू–राजस्व (स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, धर्मशाला तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए एवं अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के नियमों के अन्तर्गत ग्राम ठीकरिया चारणान में पटवार घर (कार्यालय भवन) हेतु ग्राम ठीकरिया चारणान की आराजी खसरा सं0 293 रकबा 0.1214 है0 किस्म गै0मु0 भूमि का आवंटन आदेश संख्या 31 दिनांक 10.07.2023 अपास्त किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा